HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - बाबूगढ़ **दिनांक 15.10.2025**

थाना बाबूगढ़ पुलिस ने अवैध पटाखे बेचने/भण्ड़ारण करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 10 कार्टून अवैध पटाखे (कीमत करीब 05 लाख रुपये) बरामद ।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं पटाखे/विस्फोटक पदार्थ बेचने/भण्ड़ारण करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा अवैध पटाखे बेचने/भण्ड़ारण करने वाले एक अभियुक्त को कपडों की दुकान गोहरा आलमगीरपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 10 कार्टून अवैध पटाखे बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दीपक पुत्र रामनिवास ग्राम गोहरा आलमगीरपुर चौपला थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरणः-

10 कार्टून पटाखे (कीमत करीब 05 लाख रुपये)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार वर्मा थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।
3. उ0नि0 श्री पवन यादव थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।
4. हे0का0 496 नितिन कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।
5. हे0का0 624 अंकित राठी थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।
6. हे0का0 834 हर्षमणि शर्मा थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।

6\. का0 370 सोनू कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।

हापुड़ पुलिस द्वारा टीम गठित कर अवैध पटाखों का भण्डारण/बिक्री करने वालों की धरपकड़ की जा रही है, ताकि जनपद में कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये तथा हापुड़ पुलिस द्वारा अबतक अवैध पटाखे/विस्फोटक पदार्थ बेचने/भण्डारण करने वाले 09 अभियुक्तों को करीब 28 लाख रुपये के पटाखों सहित गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है।

थाना	गिरफ्तार अभियुक्तगण	बरामदगी (कार्टून अवैध पटाखे)	कीमत
बहादुरगढ़	01	30	6-7 लाख
हापुड़ नगर	02	50	2 लाख
बाबूगढ़	01	14	5 लाख
पिलखुवा	01	02	1 लाख
पिलखुवा	02	06	2 लाख
हापुड़ देहात	01	20	6 लाख
बाबूगढ़	01	10	5 लाख

नोटः- हापुड़ पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध पटाखों की बिक्री/भण्डारण करते हुए दिखाई देता है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए तत्समय उसकी सूचना स्थानीय पुलिस या यूपी-112 पर दें, सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा।